झारखंड उच्च न्यायालय रांची

सिविल रिट याचिका सं. **5065/2018**

1. राज कुमार नायक, आयु- लगभग 30 वर्ष, पिता- डॉक्टर नायक, गाँव-सोनापोस, डाकघर एवं थाना- मंझगांव, जिला-पश्चिम सिंहभूम

याचिकाकर्ता

बनाम

1. सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत संघ, कार्यालय- शास्त्री भवन, डाकघर-जी. पी. ओ., थाना-नई दिल्ली, जिला-नई दिल्ली
2. नागरिक उड्डयन महानिदेशक, भारत सरकार, कार्यालय- सफदरजंग, डाकघर.-जी. पी. ओ., थाना-नई दिल्ली, जिला-नई दिल्ली
3. झारखंड राज्य अपने सचिव, जनजातीय कल्याण विभाग के माध्यम से, कार्यालय- परियोजना भवन, धुरवा, डाकघर एवं थाना.-धुरवा, जिला रांची
4. जनजातीय विकास आयुक्त,झारखंड सरकार, कार्यालय- नेपाल हाउस,डोरंडा,डाकघर एवं थाना-डोरंडा,जिला-रांची

विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए: श्री कुमार हर्ष, अधिवक्ता

श्री आदित्य रमन, अधिवक्ता

विरोधी पक्ष के लिएः श्री मनीष कुमार, अधिवक्ता

श्री जितेंद्र त्रिपाठी, अधिवक्ता

सुश्री सुनीता कुमारी, वरिष्ठस्थायी अधिवक्ता ।के सहायक अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वाराः- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस अदालत के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता को जो अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य है,पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सी. पी. एल.) पाठ्यक्रम के लिए 28,35,171/-रुपये की राशि/अनुदान जारी करने का एक रिट, आदेश या निर्देश, विशेष रूप से प्रतिवादियों को आदेश देने वाली अनिवार्य प्रकृति की एक रिट जारी करने का अनुरोध किया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता नागरिक उड्डयन महानिदेशक (प्रतिवादी सं.2) द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्रों से संबंधित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत दिनांक 08.11.2013 को आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुए। झारखंड राज्य से दो छात्रों का चयन किया गया और याचिकाकर्ता के अलावा संदीप मार्की को भी उक्त योजना के तहत चुना गया। प्रत्यर्थी सं. 4, जनजातीय कल्याण आयुक्तझारखंड होने के नाते, ने याचिकाकर्ता को छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित होने के उद्देश्यों से सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए सूचित किया।याचिकाकर्ता को प्रतिष्ठित फ्लाइंग स्कूल यानी चाइन्स एविएशन प्राइवेट लिमिटेड में भर्ती कराया गया था और याचिकाकर्ता को उक्त फ्लाइंग स्कूल द्वारा एक प्रमाण पत्र भी दिया गया है। सह-चयनकर्ता संदीप मार्की को सी. पी. एल. पाठ्यक्रम के लिए 14,24,786/- रुपये की पहली किस्त आवंटित की गई थी । याचिकाकर्ता, हालांकि जो सामान्य योग्यता रखता है, को शत्रुतापूर्ण भेदभाव का शिकार बनाया गया है। प्रत्यर्थी सं.4 के हस्ताक्षर के तहत जारी किए गए दिनांकित कार्यालय आदेश का लाभ सह-चयनकर्ता संदीप मार्की को दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता को नहीं। प्रत्यर्थी सं.3 के अधीन संयुक्त सचिवने उक्त योजना के तहत याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रत्यर्थी सं.1 को 28,35,171/- रुपये का छात्रवृत्ति अनुदान जारी करने के लिए आदेश दिया था। चाइना एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य संचालन अधिकारी ने सहानुभूतिवश पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ा दी है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस रिट याचिका में जिस प्रार्थना के लिए अनुरोध किया गया है, उसकी अनुमति दी जाए।

4. प्रत्यर्थी सं.1 के विद्वान वकील ने प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित करकेप्रस्तुत किया है कि 19 उम्मीदवारों में से छात्रों के चयन के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने पर, याचिकाकर्ता सहित केवल छह उम्मीदवारों का चयन उक्त योजना के तहत किया गया था। झारखंड सरकार से याचिकाकर्ता और संदीप मार्की के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। झारखंड सरकार ने तीन साल से अधिक के अंतराल के बाद, याचिकाकर्ता को 28,35,171/- रुपये का छात्रवृत्ति अनुदान जारी करने का प्रस्ताव भेजा। प्रत्यर्थी

सं. 1 ने झारखंड सरकार से कुछ जानकारी देने का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने मंत्रालय को छात्रवृत्ति जारी करने के लिए संदीप मार्की का प्रस्ताव भेजे बिना राज्य स्तर पर छात्रवृत्ति जारी कर दी है। सी. पी. एल. पाठ्यक्रम के वित्तपोषण का परिणाम वांछित परिणाम के अनुरूप नहीं था।प्रत्यर्थी सं.1 ने पहले ही वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना बंद कर दिया है, इसलिए, प्रतिवादी नं 1को 28,35,171/-रुपयेकी छात्रवृत्ति, वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम के तहत मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति के लिए, जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता है।

5. प्रत्यर्थी सं.3 और 4के लिए विद्वान वकील प्रत्यर्थी सं.4 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित करके प्रस्तुत करता है। कि संदीप मार्की और याचिकाकर्ता दोनों को सी. पी. एल. पाठ्यक्रम के लिए चुना गया था और भारत में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति से संबंधित छात्र को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत शामिल किया गया था।संदीप मार्की को वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त "छात्रवृत्ति अनुदान" के अनुसार चयन वर्ष 2012-13 के लिए उक्त पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति की अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ता को भी उसी फ्लाइंग स्कूल के लिए चुना गया था।उक्त योजना के तहत "छात्रवृत्ति अनुदान" जारी करने के लिए भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय (शिक्षा अनुभाग) को एक प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन आज तक भारत सरकार से ऐसा कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।भारत सरकार से निधि की प्राप्ति न होने के कारण, याचिकाकर्ता के पक्ष में उक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सहभागिता के लिए भुगतान नहीं किया जा सका, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह रिट याचिका, बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज कर दी जाए।

6. बार में की गई दलीलों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को सी. पी. एल. पाठ्यक्रम के लिए संदीप मार्की के साथ चुना गया था और प्रतिवादी सं.1 ने इसके जवाबी हलफनामे के पैरा 13में स्पष्टतरीके से उल्लेख किया है कि संदीप मार्की को राज्य स्तर पर ही छात्रवृत्ति जारी की गई थी।प्रत्यर्थी सं. के जवाबी हलफनामे के पैरा 13 में जो कथन दिया गया हैउसे चुनौती नहीं दी गई है और इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता को संदीप मार्की के समान रखा गया है और इसका कोई उचित कारण नहीं है किजब संदीप मार्की को छात्रवृत्ति दी गई थी, तो याचिकाकर्ता को वही क्यों नहीं दिया जाएगा।जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है, उत्तरदाताओं का यह आचरण, याचिकाकर्ता के प्रतिकूल भेदभाव के बराबर है।जहाँ तक याचिकाकर्ता के इस तर्क का संबंध है कि संदीप मार्की के पाठ्यक्रम की अवधि 12 महीने थी और याचिकाकर्ता की अवधि 18 महीने की थी,

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता प्रासंगिक समय के दौरान अपना पैसा जमा नहीं कर सकता था,इसलिए सहानुभूति के कारण पाठ्यक्रम की अवधि को बढ़ाकर 18 महीने कर दिया गया था।

7. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला है, जहां प्रत्यर्थी सं.3 और 4 को निर्देश देते हुए वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सी. पी. एल.) पाठ्यक्रम के लिए अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के रूप में याचिकाकर्ता को इस फैसले की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने के भीतर28,35,171/- रुपये की राशि जारी करने के लिएअनिवार्य रिट जारी की जानी चाहिए।

8. तदनुसार, उत्तरदाताओं को वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सी. पी. एल.) पाठ्यक्रम के लिए अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य याचिकाकर्ता को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 28,35,171/- रुपये की राशि/अनुदान जारी करने का आदेश देते हुए एक आदेश पत्र जारी करें।

9. इस रिट याचिका को तदनुसार अनुमति दी जाती है।

(न्यायमूर्तिअनिल कुमार चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक, 25 जनवरी, 2024

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|